छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 2 अगस्त, 2010 (श्रावण 11, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2009-2010 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2009-2010 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन (परफार्मेंस) बजट पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, राजधानी रायपुर में व्यावसायिक परिसर के निर्माण में पार्किंग व्यवस्था न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, प्रदेश के शहरी इलाकों में फर्जी बी.पी.एल. राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव किए जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामदयाल उईके, सदस्य, जिला कोरबा के ग्राम सलईगोंड-सखोदा में शुद्ध पेयजल के अभाव में लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, सदस्य, बिलासपुर एवं रायपुर स्थित गोकुल धाम / गोकुल नगर में प्राथमिक सुविधा का अभाव होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(1) श्री अजीत जोगी, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री धर्मजीत सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये"
श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री धर्मजीत सिंह, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये"
श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री नारायण चंदेल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये"
श्री सौरभ सिंह, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

क्रमश: 2

(4) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री नारायण चंदेल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये"
श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री नारायण चंदेल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये"
श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

<u>निर्धारित समय</u>

15 मिनट (5) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) प्रदेश में खरीफ फसल हेतु खाद एवं बीज का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश में डायरिया एवं मौसमी संक्रामक बीमारियों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चैतराम साहू, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 1 अगस्त, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.